

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 739 सन 2021
अनवान :-

1. इन्दराम पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. पृथ्वी पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. रामजस पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. रामी पत्नी स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. धर्मेन्द्र पुत्र स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. राजेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. रोशनी पत्नी मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. धोलु पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. मोहनी पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. काली पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
13. धापी पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
14. रोहिताश पुत्र स्व मालाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
15. महेन्द्र पुत्र स्व मालाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
16. सन्तरों पत्नी जीताराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
17. भावना पुत्री जीताराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
18. सरस्वती पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
19. कमो पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
20. गोमती पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
21. पना पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी


पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11,6250 हैक एव खाता संख्या 721/695 की कुल 12,1410 हैक भूमि दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पत्रु दिनाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पत्रु दिनाराम के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज है दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पत्रु दिनाराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 मोहनलाल की पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 21 मृतक दिनाराम की पुत्रीया है एवं वादी की बहने /बुआ है प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ,18 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 , 14 ता 17 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,14 ता 17 के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पत्रु दिनाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पत्रु दिनाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 .. 18 ता 21 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजे/पुत्र/ के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,14 ता 17 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही है।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11. 6250हैक एव खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410हैक भूमि दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पत्रु दिनाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पत्रु दिनाराम के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज है दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पत्रु दिनाराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 मोहनलाल की पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 21 मृतक दिनाराम की पुत्रीया है एवं वादी की बहने /बुआ है प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ,18 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 , 14 ता 17 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता अधिकारी

मोहर

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11.6250 हेक् एव खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410 हेक् भूमि दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पुत्र दिनाराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि दीना वल्द खमाणा, प्रताप पुत्र दिनाराम , मोहनलाल पुत्र दिनाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल /सहमति पेश की जो शामिल मिसल है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 13, 18 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 13, 18 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्या होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 , 14 ता 17 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11.6250 हेक् एव खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410 हेक् भूमि जो दीना, सुन्दर, प्रताप, मोहनलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 1/7 हिस्सा , 7 ,8 बहिव 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 1/21 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 15 अकेला 1/21 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 16 ,17 बहिव 1/21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....04.10.2021

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. इन्दराम पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

- 1 महावीर प्रसाद पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 2 पृथ्वी पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 3 रामजस पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 4 रामी पत्नी स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 5 धर्मेन्द्र पुत्र स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 6 राजेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 7 रोशनी पत्नी मोनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 8 धोलु पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 9 सन्तोष पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 10 मोहनी पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 11 सरोज पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 12 काली पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 13 धापी पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 14 रोहिताश पुत्र स्व मालाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 15 महेन्द्र पुत्र स्व मालाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 16 सन्तरो पत्नी जीताराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 17 भावना पुत्री जीताराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 18 सरस्वती पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 19 कमो पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 20 गोमती पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 21 पना पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
- 22 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 739 सन 2021 निर्णय दिनांक- 04.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11.6250 हैक् एव खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410 हैक् भूमि जो दीना, सुन्दर, प्रताप, मोहनलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 1/7 हिस्सा, 7,8 बहिब 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 1/21 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 15 अकेला 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16,17 बहिब 1/21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...ननाउ